

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11980/2021

राजेंद्र कुमार पुत्र लेफ्टिनेंट श्री मानक चंद, निवासी प्लॉट संख्या 109, राम गली संख्या 6, राजा पार्क, जयपुर-302004 मैसर्स मानक चंद के मालिक राजेंद्र कुमार का कार्यालय 163-164, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003 में है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, आयकर विभाग, सेंट्रल सर्कल-I, जयपुर।
2. आयकर आयुक्त, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेटस सर्कल, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

---

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री अंकित तोतुका, अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री अनुरूप सिंघी, अधिवक्ता।  
श्री एन.एस. के साथ भाटी, अधिवक्ता।

---

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान प्रकाश गुप्ता  
माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति समीर जैन

निर्णय/आदेश

रिपोर्टेबल

सुरक्षित करने की तारीख : 13/05/2022

उच्चारण करने की तारीख : 25/05/2022

प्रति: माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति समीर जैन

1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत त्वरित रिट याचिका याचिकाकर्ता-निर्धारिती द्वारा भारत में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ दायर की गई हैं: -

क) एक परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी की जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए विवादित मांग के 20% से अधिक समायोजित राशि वापस करने का निर्देश दिया जाए;

ख) प्रत्यर्थी को मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने वाली अपील का निपटान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित होने तक निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए बकाया मांग की आगे कोई भी वसूली शुरू करने से रोकने के लिए परमादेश की रिट जारी करना;

ग) तर्कसंगतता, न्यायिक अनुशासन और कानून के स्वीकृत सिद्धांतों के विरुद्ध कर की स्पष्ट रूप से अवैध वसूली करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 पर अनुकरणीय लागत अधिरोपित करना।

घ) याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका की लागत का निर्णय करना;

ड.) कोई अन्य आदेश, राहत या निर्देश, जिसे माननीय उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित और उपयुक्त समझे;

2. रिट याचिका के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 13/12/2019 को धारा 143(3) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल्यांकन अधिकारी (इसके बाद 'एओ' के रूप में संदर्भित) द्वारा एक

मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था जिसके तहत निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे 'आईटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) और आईटी अधिनियम की धारा 156 के तहत 2,09,44,100/- रुपये की मांग की गई थी, जैसा कि अनुबंध-2 और 3 में निर्दिष्ट है, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने 26/12/2019 को आईटी अधिनियम की धारा 246 के तहत निर्धारित प्रपत्र में अपील (अनुलग्नक-5) दायर की, जिसमें कहा गया कि उसके पास प्रथम दृष्टया मामला है जिसके आधार पर उठाई गई मांग है बनाए रखे जाने योग्य नहीं है।

2.1 13/01/2020 को, मूल्यांकन वर्ष 2018-2019 के लिए आयकर रिटर्न प्रत्यर्थी-विभाग के सीपीसी विंग द्वारा संसाधित किया गया और याचिकाकर्ता-निर्धारिती के पक्ष में देय 70,86,950/- रुपये के रिफंड को समायोजित किया गया। निर्धारण वर्ष 2017-18 की शेष मांग 13/12/2019 को बनाई गई। याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने आईटी अधिनियम की धारा 245 के तहत 13/01/2020 को जारी सूचना के उत्तर में दिनांक 13/01/2020 (अनुलग्नक -6) के आदेश में उल्लिखित नोट के रूप में एक स्थगन आवेदन दायर किया। निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

*टिप्पणी: सीपीसी के रिकॉर्ड के अनुसार, निम्नलिखित मांगें बकाया हैं। इस आदेश के अनुसार निर्धारित रिफंड के विरुद्ध बकाया मांगों को समायोजित करने का प्रस्ताव करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 के तहत एक सूचना अलग से जारी की गई है। चूंकि, धारा 245 के तहत सूचना पर आपकी प्रतिक्रिया/अनुपालन के आधार पर वापसी योग्य राशि जारी करने पर विचार किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपना उत्तर शीघ्रता से प्रस्तुत करें। इस संबंध में अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया सीबीडीटी परिपत्र संख्या 8/2015 डीटीडी 14-05-2015 देखें।*

3. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि आईटी अधिनियम दिनांक 13/01/2020 की धारा 245 के तहत सूचना के उत्तर में उनके पत्र दिनांक 22/01/2020 (अनुलग्नक-7) में बताया गया है कि मांग की 20% राशि अर्थात् 41,88,620/- रुपये की का समायोजन विभागीय परिपत्रों के अनुसार उक्त रिफंड से किया जायेगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन्होंने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है, लेकिन इसके बावजूद, 25/02/2020 को, आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न संसाधित करते समय, सीपीसी ने 32,35,662/- रुपये का रिफंड आईटी अधिनियम की धारा 245 के तहत सूचना के उत्तर में दायर अपील और स्थगन आवेदन के बावजूद मूल्यांकन वर्ष 2017-18 की शेष मांग के विरुद्ध समायोजित कर दिया। आगे यह तर्क दिया गया है कि बचाए जाने के विश्वास के साथ, याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने 30/06/2020 (अनुलग्नक-9) को स्थगन आवेदन दायर किया, जिसका 22/01/2020 को निपटारा कर दिया गया, जिसके द्वारा शेष मांग की वसूली पर रोक मंजूर की गई थी। इसे दिनांक 23/03/2021 के आदेश द्वारा भी पारित किया गया था।

4. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने तर्क दिया कि आईटी अधिनियम की धारा 245 के तहत आदेश के संदर्भ में, उसके द्वारा तुरंत अपील की गई थी और आईटी अधिनियम की धारा 220(6) के प्रावधानों के अनुसार, उसे व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वसूली केवल वैधानिक तंत्र के अनुसार ही शुरू की जा सकती है, वह भी आईटी अधिनियम की धारा 223 के तहत अनिवार्य रूप से विद्वान कर वसूली अधिकारी द्वारा। उन्होंने आगे कहा कि विभागीय परिपत्रों, कानून की निर्धारित स्थिति, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, वैधानिक जनादेश और आईटी अधिनियम की धारा

245 के प्रावधानों को छोड़कर, रिफंड की स्थापना को स्वतः संज्ञान और अधिनियम बनाया गया था। विभाग कानून के अधिकार के बिना निरंकुश और निरंकुश था और इस तरह, उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और वसूली के उल्लंघन के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन है।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राजस्व के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनुरूप सिंघी ने यह कहा है कि यह सच है कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटी अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध दिनांक 13/12/2019 को 2,51,98,421/- रुपये की बढ़ोतरी के विरुद्ध आईटी अधिनियम की धारा 156 के तहत 2,09,44,100/- रुपये की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने 26/12/2019 को अपील दायर की जो विभाग के पास लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि अपील के साथ वसूली की छूट और मांग पर रोक के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 22/02/2021 को ही याचिकाकर्ता-निर्धारिती द्वारा मांग पर रोक लगाने के लिए प्रत्यर्थीगण ने आईटी अधिनियम की धारा 220(6) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और उसके बाद, इस पर आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील के निपटान तक शेष राशि रोक लगाने का आदेश पारित कर दिया है। इसलिए, की गई वसूली कानून के दायरे में है और 22/02/2021 को स्थगन आवेदन दायर करने तक, निर्धारिती को डिफॉल्ट माना गया था और इसलिए वसूली की गई थी।

6. रिट याचिका के रिकॉर्ड पर विचार करने, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को सुनने और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने के बाद, हम निम्नानुसार पाते हैं: -

(क) आईटी अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था और आईटी अधिनियम की धारा 156 के तहत आकलन वर्ष 2017-18 के लिए 209,44,100/-रुपये की कर की मांग की गई थी। आईटी अधिनियम की धारा 156 के तहत मांग के नोटिस के निर्दिष्ट प्रारूप में, यह विशेष रूप से कहा गया था कि आईटी अधिनियम की धारा 222 से 227, 229 और 232 के प्रावधानों के तहत तीस दिनों के भीतर डिफॉल्ट और गैर-भुगतान के मामले में वसूली कार्यवाही की जाएगी। उक्त नोटिस में आईटी अधिनियम की धारा 156 के तहत यह भी उल्लेख किया गया था कि तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। यह दिनांक 13/12/2019 (अनुलग्नक-3) की मांग की सूचना में परिलक्षित होता है।

(ख) यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि आईटी नियमों के नियम 45 के साथ पठित आईटी अधिनियम की धारा 246क के तहत 26/12/2019 को निर्धारित फॉर्म संख्या 35 में एक अपील दायर की गई थी। आईटी अधिनियम की धारा 220(6) के प्रावधानों के अनुसार, जो निम्नानुसार प्रदान करता है, निर्धारिती को डिफॉल्ट रूप से निर्धारिती नहीं कहा जा सकता है:-

*220(6) जहां एक निर्धारिती ने धारा 246 2 [या धारा 246 क] के तहत अपील प्रस्तुत की है, मूल्यांकन अधिकारी अपने विवेक से और ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में लगाना उचित समझे, अपील में विवादित राशि के संबंध में निर्धारिती को डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, भले ही भुगतान का समय समाप्त हो गया हो, जब तक कि ऐसी अपील का निपटारा नहीं हुआ है।"*

(ग) प्रत्यर्थीगण ने केवल 13/01/2020 को आईटी अधिनियम की धारा 245 के तहत

एक सूचना जारी की है। आईटी अधिनियम की धारा 245 के प्रावधान, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, डिफॉल्ट रूप से निर्धारिती के विरुद्ध रिफंड को समायोजित करने से पहले, प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित करना जाना है:-

*245. जहां इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत, किसी व्यक्ति को रिफंड देय पाया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी, उपायुक्त (अपील), आयुक्त (अपील) या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, ऐसा हो सकता है कि, रिफंड के भुगतान के बदले, रिफंड की जाने वाली राशि या उस राशि का कोई भी हिस्सा, उस राशि के विरुद्ध, यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा देय शेष हो, जिसे रिफंड देय है, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के तहत की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की लिखित सूचना देने के बाद निर्धारित किया जा सकता है।*

(घ) आईटी अधिनियम की धारा 245 के तहत उक्त सूचना के उत्तर में, याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने मांग पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया जो पत्र दिनांक 22/01/2020 (अनुलग्नक-7) में परिलक्षित होता है। यह भी परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने, विभागीय परिपत्रों के संदर्भ में, स्वेच्छा से विभाग से मांग का 20% अर्थात् 41,88,620/- रुपये के रिफंड से समायोजित करने और शेष राशि वापस करने का अनुरोध किया है। लेकिन यह विश्लेषण किया गया है कि आईटी अधिनियम की धारा 245, 220(6) के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए, प्रत्यर्थागण ने आकलन वर्ष 2018-19 में ऊपर उल्लिखित आईटी अधिनियम की धारा 220(6) और 245 के प्रावधानों के लिए अधीन रिफंड की पूरी राशि 70,86,950/- रुपये को दिनांक 13/12/2020 तक समायोजित कर लिया है और वह मात्र एक औपचारिकता के रूप में रह गया है।

(ड.) इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूर्वाग्रह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए किया गया है। प्रत्यर्थागण की मनमाने ढंग से की गई कार्रवाई मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए उक्त आवेदन को दरकिनार करने में भी परिलक्षित होती है क्योंकि 32,32,662/- रुपये के रिफंड को अपील दायर करने के तथ्य और साथ ही आईटी अधिनियम की धारा 245 के प्रावधान के बावजूद फिर से 25/02/2020 को स्वतः पारित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 22/01/2020 के अपने पूर्व आवेदन के समर्थन में, फिर से स्थगन आवेदन दायर किया जिस पर भी विचार नहीं किया गया। अंततः, याचिकाकर्ता ने आईटी अधिनियम की धारा 220 के प्रावधानों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए आगे की वसूली के डर से 22/02/2021 को एक आवेदन दायर किया और 23/03/2021 को प्रत्यर्थागण ने निपटान तक शेष मांग की वसूली पर रोक लगा दी।

(च) यह मामला 'संपूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। याचिकाकर्ता-निर्धारिती तीस दिनों के वैधानिक समय की प्रतीक्षा किए बिना दिनांक 13/12/2019 के आदेश के विरुद्ध आईटी अधिनियम की धारा 246-क के तहत अपील दायर करने में काफी तत्पर था। उसने 26/12/2019 को निर्धारित प्रारूप में योग्यता के आधार पर अपील दायर की। यह रिकॉर्ड पर एक तथ्य है जिसे प्रत्यर्थागण ने स्वयं स्वीकार किया है कि आज तक, सीआईटी(ए) ने, उन्हीं कारणों से, उक्त अपील पर विचार नहीं किया है जो याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे है। आईटी अधिनियम की धारा 220(6) के तहत विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों के बावजूद कि निर्धारित प्रारूप में अपील दायर करने

पर, याचिकाकर्ता-निर्धारिती को 'डिफॉल्ट करदाता' के रूप में नहीं माना जाएगा, वैधानिक प्रावधानों, जो धारा 220(6), 222, 223 के तहत निहित हैं, को नजरअंदाज कहते हुए और आईटी अधिनियम की धारा 245 के तहत सूचना देते हुए बकाया मांग के विरुद्ध रिफंड पर रोक लगाने के लिए आईटी अधिनियम, प्रत्यर्थी प्रतिक्रिया पर विचार करने में विफल रहे हैं, बल्कि एक तकनीकी तर्क दिया है कि उक्त आवेदन आईटी अधिनियम की धारा 220 (6) के विशिष्ट प्रावधान के अनुसार नहीं किया गया था। आईटी अधिनियम की धारा 220(6) के प्रावधानों में कहीं भी यह निर्दिष्ट नहीं है कि स्थगन आवेदन दायर किया जाना है। आईटी अधिनियम की धारा 220(6) का आदेश यह स्पष्ट करता है कि एक बार निर्धारित प्रारूप में समय के भीतर अपील दायर करने के बाद, निर्धारिती को 'डिफॉल्ट निर्धारिती' नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 156 के तहत नोटिस स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि मांग केवल आईटी अधिनियम की धारा 222, 223 के प्रावधानों के तहत डिफॉल्ट के मामले में शुरू की जा सकती है, जो दिए गए मामले में नहीं बनाई गई है।

(छ) इस न्यायालय द्वारा यह भी विश्लेषण किया गया है कि समय-समय पर उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ सीमा शुल्क एवं सी. पूर्व आयुक्त में रिपोर्ट किए गए विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की श्रृंखला में अर्थात् अहमदाबाद बनाम कुमार कॉटन मिल्स प्रा. लिमिटेड: 2005(180) ई.एल.टी. 434 (एससी); लार्सन एंड दुब्रो लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य: 2013(288) ई.एल.टी. 481 (बम.); मंगलम सीमेंट लिमिटेड बनाम अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रेंज-III, कोटा एवं अन्य (खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1891/2013) और 01/03/2013 को जयपुर पीठ, जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए संबंधित मामले; स्काईलाइन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) पी. लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त: (2021) 132 टैक्समैन.कॉम 158 (दिल्ली) और जेट प्रिविलेज (पी.) लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त: (2021) 131 टैक्समैन.कॉम 119 (बॉम्बे), यह माना जाता है कि आईटी अधिनियम की धारा 245 के तहत, वसूली केवल एक देने के बाद ही शुरू की जा सकती है, निर्धारिती को उसके द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई की लिखित सूचना इस धारा के तहत लेने के लिए। आईटी अधिनियम की धारा 245 के तहत सूचना की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं करना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन नहीं करना, अवैध, अधिकारहीन और अनुचित है।

(ज) इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित निर्णयों की श्रृंखला में स्पष्ट रूप से माना गया है कि जब निर्धारिती की अपील लंबित होती है और उसका निपटारा उसके नियंत्रण से परे कारणों से नहीं किया जाता है, तो निरंकुश, सुस्ती और प्रशासनिक बाधाओं के कारण प्रत्यर्थीगण का हिस्सा, लंबित अपील की मांग की वसूली विधि में सम्पादित एक कार्य होगा।

(ज) प्रत्यर्थी-राजस्व के विद्वान अधिवक्ता यह प्रतिबिंबित करने में सक्षम नहीं थे कि जब अपील तुरंत दायर की गई थी तो उसका निपटारा क्यों नहीं किया गया और न ही वह इस तथ्य का खंडन करने में सक्षम थे कि आईटी अधिनियम की धारा 220 (6) के तहत, एक बार अपील दायर करने पर, याचिकाकर्ता को 'डिफॉल्ट करदाता' के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और जो वसूली हुई वह आईटी अधिनियम की धारा 245 के प्रावधानों से हटकर है। प्रत्यर्थी-राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने केवल उद्धृत किया और तर्क दिया कि आईटी अधिनियम की धारा 220(6) के तहत रोक के लिए आवेदन केवल 22/02/2021 को किया गया था और उसके बाद, मांग पर रोक लगा दी गई थी। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 (ड.) के प्रावधानों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 235 (च) के प्रावधानों के विपरीत, पूर्व-जमा

की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। यह केवल आयकर अधिनियम के तहत प्रशासनिक आदेश द्वारा है कि यदि 20% की मांग पूर्व-जमा की जाती है, तो कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29/02/2016 के तहत स्थगन का प्रावधान किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वैधानिक आदेश, शक्ति और अधिकार के बिना कानून, कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाते हैं। प्रत्यर्थी आईटी अधिनियम की धारा 220(6) के प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहे हैं, जिसके तहत अपील दायर करने पर निर्धारिती को डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। आईटी अधिनियम की धारा 222, 223 के अनुसार वसूली कार्रवाई केवल कर वसूली अधिकारी द्वारा शुरू की जा सकती है, देय रिफंड से समायोजन आईटी की धारा 245 के प्रावधानों के अनुसार सूचना देने और सुनवाई का अवसर देने के बाद ही किया जा सकता है। निर्णयों की श्रेणी (सुप्रा.) में यथानिर्धारित कार्य करें।

(ट) डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी समय पर अपील पर विचार न करने की अपनी चूक के लिए राजस्व ने निर्धारिती से वसूली शुरू कर दी है, वह भी केवल 30 दिनों की समाप्ति के कगार पर, न केवल वैधानिक प्रावधान और निर्णय। उच्च मंचों पर, लेकिन अपने स्वयं के कार्यालय ज्ञापन के विपरीत, जो केवल 20% की सीमा तक वसूली की अनुमति देता है।

**7. भारत संघ (यूओआई) एवं अन्य बनाम कमलाक्षी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड: एआईआर 1992 एससी 711, में उच्चतम न्यायालय ने यह माना:-**

"8. हमने इस पहलू पर कुछ विस्तार से विचार किया है, क्योंकि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ अधिकारियों के लिए कठोर थी, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ, जो कठोर प्रतीत होती हैं कि और स्पष्ट रूप से राजस्व के लिए अरुचिकर हैं, का उद्देश्य केवल राजस्व मामलों में एक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है, जिसे अगर व्यापक होने की अनुमति दी गई, तो इसके परिणामस्वरूप राजस्व को कोई लाभ नहीं होगा और करदाता-जनता को काफी उत्पीड़न हो सकता है। हम कहना चाहेंगे कि विभाग को इन टिप्पणियों को उचित भावना से लेना चाहिए। उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को भविष्य में ध्यान में रखा जाना चाहिए और न्यायिक अनुशासन की आवश्यकताओं और उच्च अपीलीय अधिकारियों के आदेशों को प्रभावी करने की आवश्यकता के लिए निर्णायक अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया जाना चाहिए, जो उनके लिए बाध्यकारी है।"

8. इन तथ्यों और परिस्थितियों में, कमलाक्षी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सुप्रा.) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, जिसका अनुपात यहां ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देना उचित समझता है। उपरोक्त चर्चा और निष्कर्ष और प्रत्यर्थी-आकलन अधिकारी और अन्य प्रत्यर्थीगण को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता-निर्धारिती को कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए विवादित मांग के 20% से अधिक पर उनके द्वारा समायोजित कानून में निर्दिष्ट ब्याज के साथ इस आदेश के पारित होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर रिफंड जारी करें।

9. इस न्यायालय का यह भी मानना है कि प्रत्यर्थीगण की ओर से वसूली की कार्रवाई आईटी अधिनियम की धारा 220(6), 245 के तहत निर्दिष्ट वैधानिक प्रावधानों से हटकर थी और धारा 222 और 223 के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र के बिना थी। आईटी एक्ट. प्रत्यर्थी ऊपर उल्लिखित निर्णयों की श्रृंखला का सम्मान करने में भी विफल रहे हैं, जो उनके लिए

केवल कागज के टुकड़े हैं। उन्होंने न्यायिक अनुशासन, कानून की महिमा के सिद्धांतों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है और यहां तक कि उनकी कार्रवाई उनके अपने परिपत्रों के विपरीत है। प्रत्यर्थागण की यह मनमानी कार्रवाई कमलाक्षी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सुप्रा.) में उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 265 के विरुद्ध है।

10. यह न्यायालय मानता है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थागण ने कानून के प्रावधानों, उच्च मंच की न्यायिक घोषणाओं की पूरी तरह से अनदेखी की है और समय पर और यहां तक कि आज तक अपील पर विचार न करने में प्रत्यर्थागण की कार्रवाई, प्राकृतिक न्याय, कानून की आवश्यकता, निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांतों के विरुद्ध है और इसलिए, प्रत्यर्थागण की कार्रवाई और राजस्व प्राधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन है।

11. तदनुसार, मौजूदा मामले के अवलोकन के बाद, रिट याचिका को अनुमति देने के अलावा, यह न्यायालय इस आशय को सख्ती जारी करना उचित समझती है कि प्रत्यर्था-राजस्व से संबंधित अधिकारियों और प्राधिकारी के विरुद्ध उचित विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। याचिकाकर्ता की अपील पर समय पर विचार न करने के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का पालन न करने और उन पर विचार न करने के साथ-साथ आईटी अधिनियम की धारा 220 (6), 245 के प्रावधानों और परिपत्रों में भी शामिल है। विभाग का. मुख्य आयकर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, आदि को लंबित स्थिति और आंकड़ों के बारे में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि न्याय के हित में इस पर विचार किया जा सके और उचित पत्राचार किया जा सके। व्यापक जनहित में उच्च/उपयुक्त प्राधिकारियों से संपर्क किया जाना चाहिए क्योंकि अवैध वसूली, ब्याज की उगाही उनके नियंत्रण से परे कारणों से लगाई जाती है।

12. मौजूदा मामले में, यह न्यायालय प्रत्यर्थागण पर 50,000/- रुपये की लागत लगाना उचित समझता है, जिसे प्रत्यर्था-विभाग स्वयं भुगतान करेगा या यदि वह चाहे, तो उसे समान रूप से वसूल किया जा सकता है। प्रत्यर्था संख्या 1 और 2 से और इस आदेश के पारित होने के दो माह के भीतर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर और निर्धारित के पास आधा-आधा जमा कराया जाएगा।

13. इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 और राजस्व सचिव, मंत्रालय वित्त, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को उचित अनुपालन के लिए और नागरिकों और करदाताओं के हित में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए भेजी जाए।

14. तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(समीर जैन) , न्यायमूर्ति

(प्रकाश गुप्ता), न्यायमूर्ति

Raghu/

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।